

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



ई-मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in

दूरभाष क्र. : (07582) 297118

क्रमांक: राजभाषा/2026/33/5087

दिनांक: 28 जुलाई, 2026

कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum

विषय: राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के प्रावधानों का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित किए जाने संबंधी।

विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 53वीं त्रैमासिक बैठक में यह संज्ञान में आया कि विश्वविद्यालय के कुछ विभागों/अनुभागों द्वारा समाचार-पत्रों में प्रकाशित सूचना/विज्ञप्तियों के पत्रशीर्ष (Letterhead) केवल हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

ज्ञातव्य है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अधिसूचनाएँ, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, संविदाएँ, अनुज्ञप्तियाँ, निविदा प्रपत्र, निविदा सूचनाएँ तथा अन्य अधिसूचित दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी एवं अंग्रेजी (द्विभाषी) रूप में जारी किए जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार पत्रशीर्ष, नामपट्ट, पंजियों के शीर्षक, लिफाफों पर अंकित विवरण, सूचना-पट्ट एवं अन्य प्रदर्शित सामग्री भी द्विभाषी होना अनिवार्य है।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, केन्द्राध्यक्षों, अनुभागाध्यक्षों एवं प्रकोष्ठ प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें—

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज केवल द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में ही जारी किए जाएँ।
2. सभी पत्रशीर्ष (Letterhead), नामपट्ट, पंजियों के शीर्षक, लिफाफे, सूचना-पट्ट, प्रपत्र, वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचनाएँ तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की सामग्री राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुरूप द्विभाषी रूप में तैयार एवं उपयोग की जाए।
3. समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाली सभी सूचनाएँ, विज्ञप्तियाँ, निविदाएँ, भर्ती संबंधी विज्ञापन तथा अन्य सार्वजनिक प्रकाशन अनिवार्य रूप से द्विभाषी पत्रशीर्ष सहित प्रकाशित किए जाएँ।
4. भविष्य में राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति न हो, यह संबंधित विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जाए।
5. यदि किसी विभाग/अनुभाग के पत्रशीर्ष, प्रपत्र अथवा अन्य मुद्रित सामग्री द्विभाषी स्वरूप में उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें तत्काल संशोधित कर निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप तैयार कराया जाए।

उक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में यदि किसी स्तर पर इन प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग/अनुभाग के अध्यक्ष/प्रभारी की होगी।

यह कार्यालय ज्ञापन विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 53वीं त्रैमासिक बैठक में पारित संकल्प के अनुपालन में जारी किया जाता है।

4. प्रमुख
24/7/2026
(कुलसचिव)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति सचिवालय, सूचनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त केन्द्राध्यक्ष/प्रकोष्ठ प्रभारी।
5. समस्त अनुभागाध्यक्ष।
6. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सेल – आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

राजभाषा अधिकारी (प्र.)